



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267010
CG-DL-E-18102025-267010

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4589।

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4589।

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4718(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (नया रारा-42) कि.मी. 92/900 से कि.मी. 93/900 पर लेवल क्रासिंग संख्या. 45C पर कि.मी. 93/400 के स्थान पर एल हेच एस निर्माण प्रबंधन, प्रचलन और आरक्षण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 205 (नया रारा-42) कि.मी. 92/900 से कि.मी. 93/900 के पर लेवल क्रासिंग संख्या. 45C पर कि.मी. 93/400 के स्थान पर एल हेच एस निर्माण के संबंध में तक भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जॉइंट कलेक्टर, श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH205 के कि.मी. 92.9 से कि.मी. 93.9 तक	आंध्र प्रदेश	श्री सत्य साई	कदिरि	1 कॉवलेपल्ले

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

S.O. 4718(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk/Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building, maintenance, management and operation from Km. 92/900 to Km. 93/900 of Construction of LHS on National Highway No.205 (New NH-42) in lieu of level crossing No. 45C at Km. 93/400 in Sri Satya Sai District in the state of ANDHRA PRADESH.

SCHEDE

**Acquisition of land in respect of Construction of LHS on National Highway No. 205 (New NH-42) from
Km. 92/900 to Km. 93/900 in lieu of level crossing No. 45C at Km. 93/400 in Sri Satya Sai District
in the state of ANDHRA PRADESH.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Joint Collector, Sri Satya Sai Dist	NH205 KM 92.9 TO KM 93.9	ANDHRA PRADESH	Sri Satya Sai	Kadiri	1 Kowlepalle

[F. No. NH-15017/17/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director